



239

CF 20/

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल स्वालियर केन्च सागर न० प्र०

II/निगरानी/उत्तरपुर/प्र० सं०/2017/4191

देवी दीन तनय स्व० हरदास साह उम्र 56 वर्ष

निवासी वार्ड नम्बर 2 छटकपाना मुहल्ला

बिजावर तहसील बिजावर जिला उत्तरपुर म० प्र० पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

B.O.R.
20 SEP 2017

1- संतोष तनय स्व० हरदास साह निवासी

शिव नगर कालोनी गौला कालोनी के पीछे, टावर के पास

देरी रोड उत्तरपुर म० प्र०

2- गोपी तनय स्व० हरदास साह

निवासी गौलादी कलम मार्ग, चेतगिरी कालोनी मलिन

तहसील व जिला उत्तरपुर म० प्र०

3- वीरेन्द्र तनय स्व० हरदास साह निवासी

वार्ड क्र. 39 पठापुर रोड हरीचाट वालों के सामने

तहसील व जिला उत्तरपुर म० प्र०

4- गण्डू तनय परम साह

निवासी जेल मुहल्ला बिजावर जिला उत्तरपुर म० प्र० लावेदकमण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 90 म० प्र० व राजस्व संहिता 1959

प्रस्तुत पुनरीक्षण न्याय उपकरण अधिकारी बिजावर उत्तरपुर द्वारा

राजस्व प्रकरण क्रमांक 32/अपील /2016/2017 में पारित आदेश दिनांक 8-8-17

से व्यवहित होकर प्रस्तुत की जा रही हैं :-

पुनरीक्षणकर्ता प्रार्थना करता है :-

1- यहकि, नगर बिजावर के वार्ड क्र. 2 न० 060न० 17 राजस्व निगम मण्डल बिजावर तहसील बिजावर जिला उत्तरपुर म० प्र० प्लॉट नम्बर क्र० 01417/7 रकबा 0.024 आरे 2400 वर्गफुट 40 फिट चौड़ाई उत्तर - दक्षिण व 60

श्री अमित सिन्हा, अतिरिक्त सचिव, सागर द्वारा प्रस्तुत.

1. अमित सिन्हा, अतिरिक्त सचिव, सागर (म. प्र.)

193
23/10/17

Handwritten signature and initials at the bottom left.

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत


- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4191

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	देवीदीन	विरुद्ध	संतोष
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 32/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08-08-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>			पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम


(आर.के.जैन)
सदस्य

H 3119